न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2023/97

अपील संख्या 23/2023

तारीख 01.08.2023

1. मीठालाल पुत्र श्री भोरया कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

——— अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र प्रभू कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. रामसिंह पुत्र प्रभू कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. लालचन्द पुत्र प्रभू कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (मृतक)

3/1 कृष्णा पुत्र लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर जरिये संरक्षक माता मंजू पत्नी लालचन्द कहार निवासी खण्डार।

3/2 वन्दना पुत्री लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर जरिये संरक्षक माता मंजू पत्नी लालचन्द कहार निवासी खण्डार।

3/3 दुर्गश पुत्री लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

3/4 मीनू पुत्री लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

3/5 नीशू पुत्री लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

3/6 किरण पुत्री लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

3/7 मंजू पत्नी लालचन्द कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

4. जगदीश पुत्र सुरज्या कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. रामकिशोर पुत्र सुरज्या कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
6. शेष कंवर पुत्र सुरज्या कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरज्या कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. रामगोपाल पुत्र सुरज्या कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
9. हनुमान पुत्र सुरज्या कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
10. शेष कंवर पुत्र भोरया कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
11. चन्द्रकलां पत्नी मोहन कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
12. रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल कहार निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
13. तहसीलदार खण्डार
14. लक्ष्मी पुत्री मोहनलाल पत्नि लखन बाथम जाति बाथम निवासी शंकर रोड बाथम गली धोलपुर

——— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट — अपीलान्ट्स की ओर से
सुश्री पद्मनी राठौड एडवोकेट — रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1लगा.9 की ओर से
श्री रमेश चन्द गोयल एडवोकेट — रेस्पोडेन्ट्स संख्या 10 लगा.12 की ओर से
पैरोकार सरकार — रेस्पोडेन्ट्स संख्या 13 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 25.03.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार के निर्णय/आदेश दिनांक 15.12.57 एवं नामान्तरकरण संख्या 39 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 जरिये अधिवक्तागण उपस्थित आए। दौराने विचाराधीन अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से पेरोकार उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस कराई गई। बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त नामान्तकरण को स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वजो को किसी तरह का नोटिस भी नहीं दिया, अगर विवादग्रस्त नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसानों की जांच ग्राम पंचायत द्वारा की जाती तो किसी तरह का विवाद भी पैदा नहीं होता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा के अनुसार मृतक के विधिक वारिसानों की जांच भी नहीं की गई क्योंकि मृतक प्रभू जाल्पा के जीवनकाल में किशन्या के गोद चला गया था, इसलिए मृतक प्रभू के नाम का इन्द्राज विवादग्रस्त नामान्तकरण में दर्ज होने से अपीलान्ट के विधिक अधिकारों का हनन होने से उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण का सजरा खानदान इस प्रकार से है:–

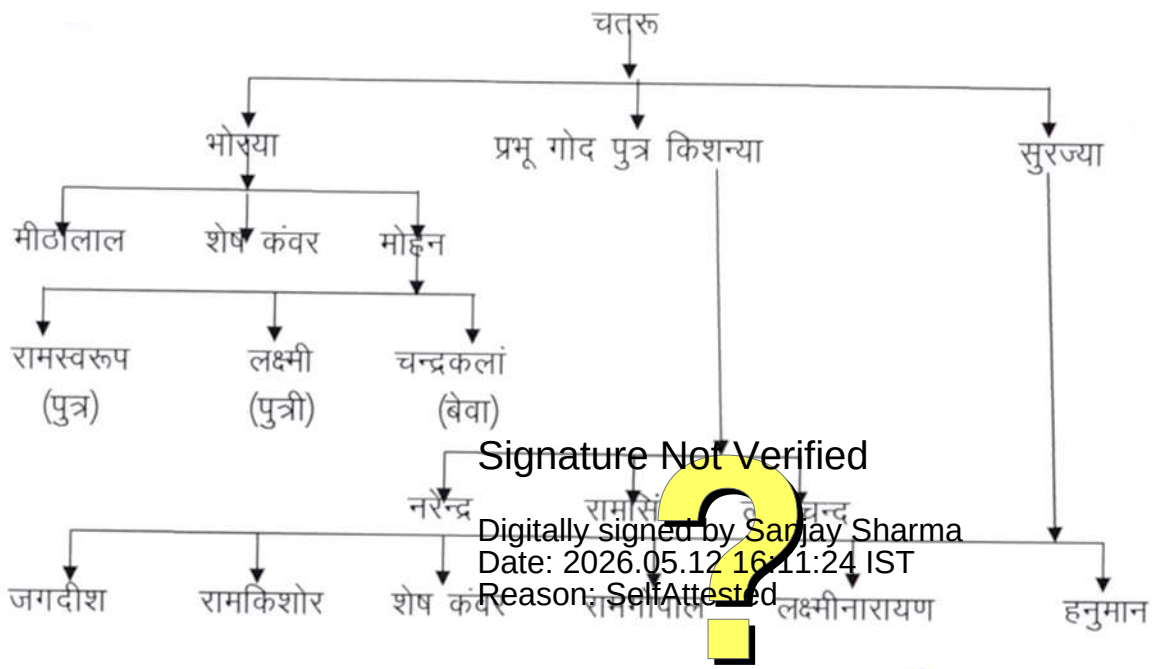

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 3 के पिता प्रभू अपने जीवनकाल में किशन्या पुत्र चेन्या के गोद जाने के कारण पैत्रक कृषि भूमि मे किसी तरह का अधिकार नहीं होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के हाल खाता संख्या 799, 800 में इन्द्राज कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 3 ने स्वयं के पिता के नाम से गोद पुत्र की हैसियत से दर्ज कृषि भूमि का बेचान कर दिया है एवं फर्जी तरीके से अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का भी विक्रय कर दिया हाल जमाबन्दी के खाता सं0 800 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 3 के पिता के नाम से प्रभूलाल दत्तक पुत्र किशन्या के नाम से दर्ज कृषि भूमि की विरासत का नामान्तकरण संख्या 846 (706) दिनांक 10.03.74 को स्वीकृत हुआ था। ख0नं0 113/1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। हाल जमाबन्दी खाता सं0 800 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 3 ने मृतक किशन्या के नाम से प्राप्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया है एवं अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त भूमि से भी मेहरूम करने पर आमादा होने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है। विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 39 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 26.06.2023 को नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील पेश की गई है। अपील के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत से मजमे आम में विरासत की जांच किये बिना ही नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) Ladu VS. Smt. Saroli page 371 पेश किया। अंत में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डार के द्वारा दिनांक 15.12.1957 को स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तकरण संख्या 39 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा. 9 द्वारा अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन कर बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा सजरा सही पेश नहीं कर आधा–अधूरा पेश किया गया है। चतरू का पुत्र जालमा तथा जालमा के तीन पुत्र भोरया, प्रभू व सुरज्या थे। उक्त तीनो भाईयों में प्रभू मंझला था। किशन्या इनका रिश्ते में काका था। प्रभू किशन्या के गोद नहीं गया हैं। प्रभू का गोदनामा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उक्त विरासत का नामान्तकरण संख्या 39 लगभग 70 वर्ष पुराना है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से ही थी। अतः अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने के बाद भी लगभग 67 वर्ष पश्चात नामान्तकरण के निरस्ती हेतु अपील पेश की गई है जोकि मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अन्त में वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगा. 9 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 10 लगा. 12 ने बहस मे निवेदन किया कि प्रभू किशन्या का दत्तक पुत्र है। प्रभू का विरासत के नामान्तकरण में गलत तरीके से नाम जोडा गया है। इल्लीगल नामान्तकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है इसमें मियाद की गणना नहीं की जा सकती है। अतः नामान्तकरण संख्या 39 निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि तहसीलदार खण्डार ने सजरे के अनुसार जालमा के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 39 आदेश दिनांक 15.12.1957 खोला गया है। जोकि नियमानुसार खोला गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र के अनुसार अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की दिनांक 26.06.2023 को (लगभग 67 वर्ष पश्चात) जानकारी होना बताया गया है उक्त नामान्तकरण संख्या 39 आदेश दिनांक 15.12.1957 विरासत का भरा गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को ना हो, मान्य नहीं है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली में प्रभू का किशन्या के गोद जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ना ही अपीलान्ट द्वारा गोदनामा पेश किया गया है। मेरी राय में तहसीलदार खण्डार द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 39 आदेश दिनांक 15.12.57 सही खोला गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested